

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-9


संख्या - 79/5-9-2013-9(56)/2013
लखनऊ : दिनांक : 15 जनवरी, 2014

कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का द्वितीय चरण माह अप्रैल, 2012 से माह मार्च, 2017 तक प्रभावी है। अतः राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के प्रथम चरण में निष्पादित एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य मिशन के गठन विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2747/5-9-06-9(285)/04टी0सी0-1 दिनांक 16 नवम्बर, 2006 के क्रम में प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषतः निर्धन वर्ग तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग को सुलभ, प्रभावी, गुणवत्तापरक तथा विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए गठित जिला स्वास्थ्य मिशन में निम्नवत संशोधन/परिवर्धन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

गठन	प्रचलित व्यवस्था	नवीन व्यवस्था
अध्यक्ष	जिले के प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष, जिला पंचायत
सह, अध्यक्ष	-----	जिलाधिकारी
उपाध्यक्ष	-----	मुख्य विकास अधिकारी
सदस्य	जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्रीय मा0 सांसद एवं विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि	क्षेत्रीय मा0 सांसद एवं विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि
विशेष आमंत्रित	मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत, मा0 सांसद, मा0 विधायक अथवा उनके प्रतिनिधि	निरसन
संयोजक	जिलाधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बैठक का अन्तराल	जिला स्वास्थ्य मिशन की बैठक प्रत्येक 03 माह पर आयोजित की जायेगी	जिला स्वास्थ्य मिशन की बैठक प्रत्येक 6 माह पर आयोजित की जायेगी
कर्तव्य एवं दायित्व	जनपद एवं ग्राम की वार्षिक योजना का अनुमोदन	जनपद स्तर पर स्वास्थ्य सम्बंधी नीति विषयक निर्णय करना


2- वर्णित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16 नवम्बर, 2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।


(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव, उ0प्र0।

संख्या- 79 (1)/पांच-9-2013 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, सम्बंधित मा0 मंत्रिगण, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. अन्य सभी सम्बंधित सदस्यगण/समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. कम्प्यूटर सेल, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन/गार्ड फाइल।


आज्ञा से
(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।